बिहार सरकार

बिहार विधान सभा

बिहार विधान मंडल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम संख्या–17 / 2006)

[बिहार विधान मंडल द्वारा पारित]

सत्यमेव जयते

बिहार विधान मंडल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006.

विषय–सूची।

खण्ड।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधायें।
4. नियम बनाने की शक्ति।
5. निरसन एवं व्यावृति।

बिहार विधान मण्डल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006.

प्रस्तावना – बिहार विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति एवं उप सभापति के वेतन एवं भत्ते के निर्धारण के लिए अधिनियम।

जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 186 में यह प्रावधान है कि राज्य विधान मण्डल के बिहार विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति एवं उप सभापति के वेतन एवं भत्ते के निर्धारण के लिए कानून बनाया जाए।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।** – (1) यह अधिनियम बिहार विधान मण्डल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में, इस निमित, नियत करें।

2. **परिभाषाएं।** – जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में :–

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद–178 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान सभा का अध्यक्ष।

(ख) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद–178 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष।

(ग) "सभापति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान परिषद् का सभापति।

(घ) "उप सभापति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान परिषद् का उप सभापति।

3. **वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।** – इस अधिनियम के नियम –2 में विनिर्दिष्ट पदधारकों को सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित नियमावली के द्वारा तय पैमाने एवं शर्तों के अनुसार वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें देय होंगीं।

4. **नियम बनाने की शक्ति।** – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी :

(2) विशेष रूप से पूर्ववर्ती शाक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी, यथा :–

वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाए जानेवाला प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष जब वे सत्र में हों कुल

14 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है। यदि उपर्युक्त सत्र या उपर्युक्त उत्तरवर्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हों कि यह नियम न बनाया जाए तो तत्पश्चात नियम यथास्थिति उस उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कोई उपान्तरण इस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

5. **निरसन एवं व्यावृति।** – बिहार विधान मण्डल पदाधिकारियों के वेतन भत्ता अधिनियम, 1953 एवं उसमें समय–समय पर किया गया संशोधन अधिनियम इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जायेगें :

परन्तु, ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी :

परन्तु यह भी कि, इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद भी जबतक इसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली नहीं बनायी जाती है, तबतक पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए बनायी गई नियमावली प्रभावी रहेगी।